

1995



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

शासिकायत सं. 10/19/93-एम एण्ड जी
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 503]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 1995/अग्राहायना 15, 1917

No. 503] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 1995/AGRAHAYANA 15, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1995

(ख) "15 रु." के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 10/19/93-एम एण्ड जी]

वी.के. सहोत्रा, संयुक्त सचिव

सा.का.नि. 779 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, मंत्रियों के सम्बलनों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के नियम 17 में,—

(क) "30 रु." के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "भारत सरकार के सचिव को यथा अनुज्ञेय" शब्द रखे जाएंगे;

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. सं. 1154, तारीख 5-4-1957 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए—

1. अधिसूचना सं. 14/26/57-पब्लिक I, तारीख 1-6-1957
2. अधिसूचना सं. 14/46/57-पब्लिक I, तारीख 16-3-1959
3. अधिसूचना सं. 14/3/59-पब्लिक I, तारीख 21-11-1960
4. अधिसूचना सं. 14/20/61-पब्लिक I, तारीख 30-8-1961
5. अधिसूचना सं. 14/43/64-पब्लिक I, तारीख 30-10-1964 (सा.का.नि. सं. 1601)
6. अधिसूचना सं. 14/24/65-पब्लिक I, तारीख 16-9-1965
7. अधिसूचना सं. 14/30/66-पब्लिक I, तारीख 8-12-1966

8. अधिसूचना सं. 14/30/70-पब्लिक I, तारीख 2-2-1972
[सा.का.नि. सं. 68 (अ)]

9. अधिसूचना सं. 4/9/76-स्टेट्स, तारीख 12-8-1980
[सा.का.नि. सं. 473 (अ)]

10. अधिसूचना सं. 10/41/85-एम एण्ड जी, तारीख
13-5-1986

[सा.का.नि. सं. 745 (अ)]

11. अधिसूचना सं. 10/28/86-एम एण्ड जी, तारीख
26-3-1987

[सा.का.नि. सं. 312 (अ)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1995

G.S.R. 779(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministers (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) (Amendment) Rules, 1995.

(2) In the Ministers (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, in rule 17,

(a) for "of Rs. 30", wherever they occur, the words "as admissible to a Secretary to the Government of India" shall be substituted ;

(b) for "Rs. 15" wherever they occur, the words and figure "at the rate of 50% of the rates admissible to a Secretary to the Government of India" shall be substituted.

[F. No. 10/19/93-M&G]

V. K. MALHOTRA, Jt. Secy.

Footnote—The Principal rules were published vide S.R.O. No. 1154 dated 5-4-1957 subsequently amended vide

1. Notification No. 14/26/57-Pub. I dated 01-06-1957
2. Notification No. 14/46/57-Pub. I dated 16-01-1959
3. Notification No. 14/03/59-Pub. I dated 21-11-1960
4. Notification No. 14/20/61-Pub. I dated 30-08-1961
5. Notification No. 14/43/64-Pub. I dated 30-10-1964 (GSR No. 1601)
6. Notification No. 14/24/65-Pub. I dated 16-09-1965
7. Notification No. 14/30/66-Pub. I dated 08-12-1966
8. Notification No. 14/30/70-Pub. I dated 02-02-1972 [GSR No. 68(E)]
9. Notification No. 04/09/76-States dated 12-08-1980 [GSR No. 473(E)]
10. Notification No. 10/41/85-M&G dated 13-05-1986 [GSR No. 745(E)]
11. Notification No. 10/28/86-M&G dated 26-03-1987 [GSR No. 312(E)]